मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

विविध याचिका क्र.2595/1991

याचिकाकर्ता

1. चमारू राम,पिता-श्री अन्तुराम, उम्र लगभग 45 वर्ष
2. मनीजर राम पिता-श्री अन्तुराम, उम्र लगभग 57 वर्ष
3 बड़ेनोनी पति-श्री दल्लूराम , उम्र लगभग 70 वर्ष
4 बंशधारी पिता -बेचुरम ,उम्र लगभग 35 वर्ष
5 भुवन पिता – भाटुराम,उम्र लहभग 45 वर्ष
6 रामधानी, पिता-दलुराम, उम्र लगभग 45 वर्ष
7. भदर, पिता-लार्तर,उम्र लगभग 60 वर्ष
8 भोगली महतो राजवर, उम्र लगभग 60 वर्ष
9 आनंदी राम ,उम्र लगभग 50 वर्ष

सभी जाति -राजवर , काश्तकार,
निवास-बन्सिपुर, पटवारी हल्का क्र-17, तहसील-प्रतापपुर ,जिला-सरगुजा (म.प्र.)

– बनाम –

उत्तरवादी

1. मध्यप्रदेश राज्य
   द्वारा-सचिव, राजस्व विभाग
   वल्लभ भवन , भोपाल
2. कलक्टर,
   सरगुजा (अंबिकापुर), (म.प्र.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन याचिका

उपर्युक्त याचिकाकर्तागण, निम्नानुसार निवेदन करते हैं :-

1. यह कि, याचिकाकर्तागण विधि का पालन करने वाले हैं एवं

23-06-2005

श्रीमति रेणु कोचर, याचिकाकर्ताओं की ओर से श्रीमति रेणु कोचर अधिवक्ता,उपस्थित।

श्री संदीप दुबे, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 27-10-1990 के आदेश (अनुलग्नक-पी/1) को चुनौती दी है, जो उत्तरवादी क्रमांक- 2 कलेक्टर, सरगुजा (अंबिकापुर) द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा कलेक्टर ने तहसीलदार, बंदोबस्त अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी और उप पंजीयक, अंबिकापुर को निदेश दिया था कि वे पट्टे पर दी गई (पट्टा) कृषि भूमि के विक्रय की अनुमति न दें तथा कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में विभाजन या वितरण की भी अनुमति न दें।
3. याचिकाकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती कोचर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को भूस्वामी अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि बंदोबस्त 1942 से 45 की अवधि के दौरान किया गया था और बंदोबस्त के पूर्व यह उनके पूर्वजों के कब्जे में थी जो फसल काट रहे थे। यह भी तर्क दिया गया है कि उन्होंने धारा 158 के अधीन भूस्वामी अधिकार भी अर्जित किए हैं और इस प्रकार उन्हें अंतरण का अधिकार है जो म.प्र./छ.ग. भू-राजस्व संहिता की धारा 165 में उल्लिखित उपबंधों और शर्तों के अध्यधीन है। यह भी तर्क दिया गया है कि भू-राजस्व संहिता कलेक्टर को ऐसा आदेश पारित करने का कोई प्राधिकार प्रदान नहीं करती है और यह मामला म.प्र./छ.ग. भू-राजस्व संहिता की धारा 165 के अंतर्गत नहीं आता है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कलेक्टर ने बिना किसी प्राधिकार के आदेश जारी किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि जब वर्ष 1991 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की गई थी तो दिनांक 27-10-1990 के आक्षेपित

   आदेश (अनुलग्नक-पी/1) पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16-8-1991 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी।
4. राज्य ने जवाब दाखिल किया है। राज्य द्वारा लिया गया पक्ष यह है कि यह प्रचलन में था कि यदि याचिकाकर्ताओं/पट्टाधारकों की भूमि कोलियरी क्षेत्र के लिए अधिग्रहीत की जाती है तो जिन व्यक्तियों की भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत की जाती है, उन्हें परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को कोलियरी सेवा में स्थान दिया जाएगा। इस अफवाह के आधार पर भू-स्वामियों और उन व्यक्तियों ने जो कोलियरी संगठन में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक थे, कोलियरी प्राधिकरण द्वारा भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से भू-धारकों से भूमि क्रय करने का प्रयास किया। यह भी कथन किया गया है कि कोलियरियों में सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसे बनावटी अंतरणों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पुनर्वास विभाग ने एक परिपत्र क्रमांक 5-8-90/28 दिनांक 25 सितंबर, 1991 (अनुलग्नक-आर/1) जारी किया। उक्त परिपत्र में यह कहा गया है कि कोयला खदानों में सेवा प्राप्त करने के हकदार केवल वे ही व्यक्ति होंगे जिनकी संपूर्ण भूमि कोलियरी क्षेत्र में अधिग्रहीत कर ली गई है।
5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान (अधिवक्ता) श्रीमती कोचर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास भूस्वामी अधिकार हैं और भूमि उन्हें उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी रीति से संपत्ति का व्ययन करने का अधिकार है जो भू-राजस्व संहिता की धारा 165 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है। यह भी तर्क दिया गया है कि अधिकार को एक कार्यकारी आदेश द्वारा कम नहीं किया जा सकता और वह भी अफवाहों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आधार पर। रोजगार नीति किसी न किसी प्रकार से विधि के अनुसार बनाई जा सकती है। विधि के स्थापित सिद्धांतों की कसौटी पर देखने और परखने पर, आदेश अवैध और विधि के प्रतिकूल है। कलेक्टर का आदेश सर्वथा पोषणीय नहीं है। तदनुसार, याचिका व्यय सहित अनुज्ञात की जाती है

और दिनांक 27-10-1990 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक-पी/1) अभिखंडित किया जाता है।

7. अधिवक्ता शुल्क, मानक के अनुसार, यदि प्रमाणित हो।

8. याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति, यदि कोई हो, नियमों के अनुसार प्रतिदाय कर दी जाए।

प्रमाणित प्रतिलिपि नियमों के अनुसार।

हस्ताक्षर /-
फखरुद्दीन
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

-Translated By Nasreen Khan